फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

धारलुजानाथ
[illegible] बनाम
[illegible] जरिये बहादुर v/s बंशीलाल [illegible]
हीरालाल जाट
धारा 111.128 L.R. Act किस्म [illegible]
0सं0 397/2017

बाद जॉच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये रवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 22.1.18 पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

22-1/18 पत्रावली पेश हुई। दरखास्त प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के नाम वाद तामिल प्राप्त हुये। जिन्हें शामिल पत्रावली किये गये विपक्षीगण उपस्थित नहीं। विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत तामील दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। दरखास्त प्रार्थी ने बहस करनी चाही। दरखास्त प्रार्थी की बहस सुनी गयी। दरखास्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111/128 L.R.Act का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना किये जाने हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली में कल क्रमांक की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner